न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3103—दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 14—08—12 पारित कलेक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 118/10—11 निगरानी.

1— विनोद कुमार पुत्र बालकिशन चौरसिया
2— राजेन्द्र कुमार पुत्र बालकिशन चौरसिया (मृत)
वरिसान—
अ— सुनीता पत्नि राजेन्द्र कुमार
ब— कृषकांत पुत्र राजेन्द्र कुमार, ना.बा.
सरपरस्त माँ सुनीता पत्नि राजेन्द्र कुमार
3— मणीकांत पुत्र स्व. पप्पू चौरसिया
4— श्याम बेवा स्व. पप्पू चौरसिया
5— मुलिया बेवा स्व. बालकिशन चौरसिया
समस्त निवासी लौड़ी, तह0 लौड़ी,
जिला छतरपुर, म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

1— रामेश्वर दयाल पुत्र गयाप्रसाद चौरसिया
2— किशोरीलाल पुत्र सरूआ चौरसिया
3— देवीदयाल पुत्र रतनलाल चौरसिया
4— मुन्नालाल पुत्र रतनलाल चौरसिया
5— प्यारेलाल पुत्र खन्नू चौरसिया
6— वीरेन्द्र कुमार पुत्र खन्नू चौरसिया
7— धनप्रसाद पुत्र कंधी चौरसिया
8— नीरज पुत्र कंधी चौरसिया
9— ठाकुरदीन पुत्र दसईया चौरसिया (मृत) वारिसान—
अ— देवीदीन पुत्र स्व. ठाकुरदीन
ब— करण पुत्र स्व. ठाकुरदीन
स— कन्हैयालाल पुत्र स्व. ठाकुरदीन
द— देवेन्द्र पुत्र स्व. ठाकुरदीन
क— छिरिया बेवा पुत्र स्व. ठाकुरदीन

10– पटटे पुत्र धनप्रसाद चौरसिया
11– रतनलाल पुत्र दसईया चौरसिया
12– चतरेश पुत्र मूलचन्द्र चौरसिया
13– चन्द्रभान पुत्र मूलचन्द चौरसिया
14– भैयादीन पुत्र नथुवा चौरसिया
15– चुक्खी बाई पत्नी राजेन्द्र चौरसिया
16– दीनदयाल पुत्र खन्नू चौरसिया
17– धमेन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल चौरसिया
समस्त निवासी लौड़ी, तह0 लौड़ी,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 25.8. .2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला छतरपुर के निगरानी प्रकरण कमांक 118/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14–08–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–1 व्दारा तहसीलदार, लौड़ी के आदेश दिनांक 04–02–08 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 23–02–10 को अपील प्रस्तुत की गयी। विलम्ब को माफ करने हेतु अनावेदक व्दारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष को धारा 5 के आवेदन पर सुनने के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–06–11 में यह निष्कर्ष

निकाला कि नोटिस प्रारूप 'क' में दिनांक अंकित नहीं है जो नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं, वह अपील मेमो एवं साक्ष्य में रिटायर्मेन्ट के प्रमाणित हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने पीठ पीछे आदेश पारित कर संसूचित नहीं करने से म्याद की गणना जानकारी के दिनांक से मान्य की और अपील समयावधि में मानते हुए प्रकरण गुण–दोष पर सुनवायी हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी विव्दान कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14–08–12 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण ने यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क0–1 को बटवारे के प्रकरण की जानकारी शुरू से थी। तहसीलदार व्दारा अनावेदक पर विधिवत सूचनापत्र तामील किया गया, किन्तु उनके ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अनावेदक के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। संहिता की धारा 47 के परन्तुक के अनुसार एकपक्षीय आदेश पारित होने पर समयावधि की गणना संसूचना/जानकारी के दिनांक से नहीं की जा सकती, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि बटवारा आदेश के 2 वर्ष बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय। अनावेदक क0–1 व्दारा 2 वर्ष के विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु इस ओर कलेक्टर व्दारा भी आदेश पारित करते समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक पर फर्जी तामील की गयी है। अनावेदक ने शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त ट्रेजरी आफीसर व्दारा प्रमाणीकरण किये गये हस्ताक्षर की छाया प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है। नोटिस में अंकित गबाह महेन्द्र चौरसिया व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि नोटिस की तामीली मेरे समक्ष नहीं की गयी है। उनका तर्क है कि फर्जी तामीली के आधार पर अनावेदक के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदक को बटवारा आदेश की जानकारी होने पर बिना विलम्ब किये अनावेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की है। निगरानी में कलेक्टर व्दारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में अनावेदक क0–1 पर तामीली नहीं किये जाने संबंधी निष्कर्ष निकाला गया है। यह निष्कर्ष अनावेदक क0–1 व्दारा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त ट्रेजरी आफीसर व्दारा प्रमाणीकरण किये गये हस्ताक्षर की छाया प्रति एवं अपील मेमो में अनावेदक व्दारा किये गये हस्ताक्षर के आधार पर निकाला गया है। अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस में अंकित गबाह महेन्द्र चौरसिया का शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने नोटिस की तामीली उसके समक्ष नहीं करना शपथ पर अंकित किया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख सम्मत होने से उसमें निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तहसील न्यायालय व्दारा आदेश पारित करने के बाद अनावेदक को सूचना देने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है और ना ही आवेदकगण व्दारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया जिससे अनावेदक

क0–1 को तहसील न्यायालय के आदेश की सूचना पूर्व से होना माना जा सके। अनावेदक क0–1 व्दारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अनावेदक क0–1 व्दारा लापरवाहीवश या जानबूझकर विलम्ब करने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील न्यायहित में समयावधि मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसे कलेक्टर व्दारा भी निगरानी में यथावत रखा है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। कलेक्टर का आदेश दिनांक 14–08–12 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–06–11 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0